न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2018 (राजस्व विविध)
पंजीयन दिनांक 01.05.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00152

लेहरीबाई पत्नि बद्रीलाल कुमावत, उम्र 60 वर्ष, निवासी पंचदेवला (सरलाई) तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1–शिवलाल पिता मोतीलाल कुमावत, उम्र 40 वर्ष, निवासी सरलाई तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत सुखवाड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सुखवाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 बाबत पुनरावलोकन आवेदन आदेश प्रकरण संख्या 43/2015 निर्णय दिनांक 22.03.2018

उपस्थितिः 1– श्री सावन श्रीमाली, अधिवक्ता प्रार्थीया
2– श्री राम रतन जाट, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 02/2018 (राजस्व विविध)
लेहरीबाई पत्नि बद्रीलाल कुमावत निवासी पंचदेवला (सरलाई), तहसील भदेसर बनाम शिवलाल पिता मोतीलाल कुमावत निवासी सरलाई, तहसील भदेसर वगैरा

निर्णय

दिनांक 20.12.2024

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होकर पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। अतः पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 43/2015 निगरानी पंचायत में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2018 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पुनरावलोकन आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामरतन जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का मुख्य कथन यह रहा कि शिवलाल कुमावत द्वारा न्यायालय आप में निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 13 दिनांक 22.12.2004 को निरस्त किये जाने हेतु पेश की गई उक्त निगरानी में दिनांक 18.01.2018 को प्रार्थीया/गैर निगराकार लेहरीबाई का जवाब बंद करने का आदेश पारित कर दिया गया। प्रकरण में लेहरीबाई की ओर से उसका भाणेज सुरेश पिता खुमराज कुमावत निवासी सरलाई को प्रकरण का ध्यान रखने के लिए कहा गया परन्तु सुरेश कुमावत नियमित रूप से परिस्थितियों के कारण चित्तौड़गढ़ आकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सका और न ही प्रकरण की कार्यवाही की जानकारी मुझ प्रार्थीया लेहरीबाई को दी गई, लेहरीबाई विधवा महिला होकर वृद्ध एवं गरीब काश्तकार है इस प्रकार दिनांक 18.01.2018 को जवाब बंद करने का आदेश प्रकरण में परिस्थितियों को देखते हुए खुलवाया जाना आवश्यक है उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ही मूल

Web Copy - Not Official

निगरानी का जवाब पेश है तथा इससे संबंधित ही प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त जवाब को रेकार्ड पर लेकर पारित निर्णय दिनांक 22.03.2018 पुनरावलोकन योग्य है। अतः पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार फरमाकर प्रकरण संख्या 43/2015 निगरानी पंचायत निर्णय दिनांक 22.03.2018 को निरस्त किया जाकर पुनरावलोकन आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि मूल निगरानी में प्रार्थीया/गैर निगराकार लेहरीबाई को न्यायालय द्वारा जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए उसके बावजूद भी उसके द्वारा जवाब पेश नहीं करने से न्यायालय द्वारा जवाब बन्द करते हुए विधिवत बहस सुनी जाकर विवादित पट्टा संख्या 13 दिनांक 22.12.2004 को गुणावगुण पर खारिज करने का आदेश पारित किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत् है। प्रार्थीया द्वारा जवाब को रेकार्ड पर लेकर पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया है जो रिव्यू का आधार नहीं हो सकता साथ ही प्रार्थीया ने इसी संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है अतः सिविल न्यायालय में प्रकरण विचारणीय होना भी रिव्यू का आधार नहीं माना जा सकता। ये सभी ग्राउण्ड अपील के हैं तथा रिव्यू का स्कॉप बिल्कुल सीमित है। अतः प्रार्थीया का रिव्यू आवेदन मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। यह निर्विवाद तथ्य है कि पुनरावलोकन (रिव्यू) का दायरा सीमित (लिमिटेड़ स्कॉप) है। निर्णय या आदेश में ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो अर्थात् निर्णय में कोई रेकार्ड के मुकाबले टंकण में कोई लिपिकीय त्रुटि होने की स्थिति में रिव्यू किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। हस्तगत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये हैं उस संबंध में हमारा अभिमत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के तो आधार हो सकते हैं किन्तु नजरसानी/ पुनरावलोकन स्वीकार करने के आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं हो सकते हैं। पुनरावलोकन की आड़ में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 (8) एससीसी पेज 715 आरआरटी 2005 (1) पेज 545 एवं एआईआर 1995 एससी पेज 545 में यह सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी के केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के प्रावधान दिये गये हैं। नजरसानी का दायरा सीमित होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर बी जे (12) पृष्ठ 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– The Scope of Review is very limited. It has been Clearly held in Catena of Cases that a judgement order mat be open to review under section 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re heard and corrected. There is clearly distinction between an erroneous decision and an error apparent on the face of the record. While the former can be corrected by higher forum, the lateer can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, alimited purpose and can not be allowed to be an appeal in disquise. इसी प्रकार 2005 (1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी/ पुनरावलोकन के लिए आधार नहीं हो सकता है।

हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत सम्पूर्ण साक्ष्य एवं बहस पर आये तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 22.03.2018 को निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीया रेकार्ड पर परिलक्षित होने

वाली ऐसी कोई त्रुटि नहीं बता पाये हैं जिससे उक्त पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

Web Copy - Not Official